363/18/223 गौरी देवी V/S रमेश चन्द

तारीख पेशी	बनाम 2018/003363 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ....श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

गौरी देवी बनाम रामेश्वरलाल

9.1.19

पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक केवियटकर्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र व अपील में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि खसरा नम्बर 386/1 राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं हैं अन्य खसरा संख्याओं से सीमाओं का विवाद है, राजस्व ट्रेस मे जब तक खसरा नम्बर 386/1 तरमीमशुदा नहीं होता है तो विभाजन आदेश प्रभाव राजस्व ट्रेस में होता है तथा जब राजस्व ट्रेस में खसरा नम्बर 386/1 ही सीमांकित नही है तो खसरा नम्बर 386/1 का विभाजन किया जाना किसी भी रूप में अनुज्ञात नहीं है। यह वाद असक्षम, अप्राधिककृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं जब खसरा नम्बर 386/1 रजास्व ट्रेस में तरमीमशुदा नही है एवं राजस्व ट्रेस की तरमीमी के बाबत् राजस्व काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान नहीं होकर पृथक से अन्य विधि अधीन प्रावधान है तथा किसी भी खसरे को राजस्व ट्रेस में तरमीम किये जाने के बाबत् पृथक से विधिक प्रावधान है जिसमें समस्त सह खातेदारों को पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक रहता हैं। प्रारंभिक आपत्तियों में विशिष्ट रूप से कई तथ्यों का उल्लेख किया। रेस्पोडेन्ट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सद्भाविक वाद संस्थित नहीं किया हैं। रेस्पोडेन्टस/वादी का विवादित भूमि में किसी प्रकर से कब्जा काश्त नही हैं तथा वाद आधिपत्य विहीन विभाजन बाबत् अवधारणीय नही है। रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आवश्यक विधिक प्रावधानों का पालन नहीं किया है एवं वाद का आदेश 6 के विहित प्रावधान अनुसार नही किया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में साक्ष्य उपस्थित रहते हुए भी विधि का सारभूत एवं तात्विक त्रुटि की हैं। इस परिप्रेक्ष्य में भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद भी विधिवत् रूप से संस्थित नहीं किया गया था एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो विवाद्यकों का सामयिक गठन किया गया है न ही प्रार्थना पत्रों का भी विधिवत् निस्तारण किया गया हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2018 की क्रियान्विति अपील के निस्तारण तक स्थगित की जावें या अपील स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.10.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

अभिभाषक केवियटकर्ता ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/ अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि के सलंग्न अन्य खसरान् के सम्बन्ध में जो भी प्रारम्भिक आपत्तियॉ अंकित की है उसको पुष्ट करने हेतु किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे प्रारम्भिक आपत्तियॉ को कोई बल मिलने

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार

363/18/1223 गौरा देवी बनाम रमेश चन्द

तारीख पेशी	बनाम 2018/00363 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ....श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
लगातार	से अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दी हैं। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 517 पुराना, 284 के खसरा नम्बर 386/1 रकबा 04–00–00 भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड अनुसार तहसीलदार, किशनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौके पर बंटवारा कर नक्शा ट्रेस में प्रत्येक के हिस्से को अलग–अलग रंगों से दर्शाते हुए अलग–अलग खसरा नम्बर, रकबा, लगान कायम कर बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नही की है। इसलिए अपीलांट किसी प्रकार का स्थगन आदेश प्राप्त नहीं कर सकता हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावें। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत उपलबध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद एवं अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए, बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये हैं। अपीलांट का यह उज्र की अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में साक्ष्य उपस्थित रहते हुए विधि की सारभूत एवं तात्विक त्रुटि कारित की है विधि सम्मत नहीं हैं। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत होने के कारण अपील को इसी स्तर पर निर्णित करना चाहते हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। **अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.10.2018, वाद संख्या 204/2011 यथावत् रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	